भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1015
09 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

छावनी बोर्डों को वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का निलंबन

1015.श्री महेंद्र भट्ट:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छावनी बोर्डों के चुनाव लंबे समय से न होने के कारण वित्त आयोग द्वारा इन बोर्डों को दिए जाने वाले अनुदान निलंबित कर दिए गए है;

(ख) क्या सरकार छावनी बोर्डों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है, या उन्हें नागरिक क्षेत्रों के नगर निकायों में विलय करने पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार इस मामले पर निर्णय होने तक इन छावनी बोर्डों को दिए जा रहे अनुदान की राशि जारी रखेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) यह सूचित किया जाता है कि वर्तमान वर्ष में, 29 छावनी बोर्ड केन्द्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) अनुदानों के अंतर्गत पहले ही निधियां प्राप्त कर चुके हैं। केवल उत्तराखण्ड राज्य में स्थित छावनी बोर्डों के मामले में छावनी बोर्डों में चुनाव न होने को सीएफसी अनुदानों की गैर-प्राप्ति के लिए एक कारण बताया गया है। इस संबंध में इन छावनी बोर्डों को अनुदान जारी करने के लिए मामला पहले ही उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष उठाया गया है।

(ख) सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया है कि चयनित छावनियों को सिविल क्षेत्रों से अलग करें और उन्हें संबंधित राज्य की नगरपालिकाओं में शामिल किया जाए। चूंकि अलग करने की प्रक्रिया का परिणाम छावनी बोर्डों की शासन संरचना पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए

बोर्डों के चुनाव नहीं कराए गए हैं। यह मामला वर्तमान में दिल्ली, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालयों में लंबित है।

(ग) एवं (घ) छावनी बोर्ड सीएफसी अनुदानों के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक, 29 छावनी बोर्डों को निधि प्राप्त हो चुकी है।
